न्यायालय सं0 1

उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा अधिकरण, इन्दिरा भवन, लखनऊ।

उपस्थितः माननीय न्यायमूर्ति साधना रानी (ठाकुर), अध्यक्ष।

अवमानना याचिका संख्या–265/2022

राज कुमार सोनीवाल, आयु लगभग 56, वर्ष पुत्र स्व0 श्री बलजीत सिंह, निवासी–सी–49, सहारनपुर। .....याची।

बनाम

श्री आर0आर0 सिंह, अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग, मेरठ वृत्त, मेरठ, मेडिकल कालेज के सामने, मन्शा देवी रोड़ विकास खण्ड परिसर, जागृति विहार, मेरठ एवं दो अन्य

..... विपक्षीगण।

श्री मनोज कुमार यादव याची के अधिवक्ता ।
श्री पंकज सिंह विद्वान प्रस्तुतकर्ता अधिकारी, विपक्षीगण की ओर से।

आदेश दिनांकित 21–08–2026 की प्रति

(द्वारा–माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती साधना रानी (ठाकुर), अध्यक्ष।

याची द्वारा मौजूदा अवमानना याचिका अधिकरण द्वारा निर्देश याचिका संख्या–861/2020 में पारित निर्णय दिनांकित 01–07–2022 का अनुपालन करने हेतु दिनांक 17–10–2022 को प्रस्तुत की गयी। उभयपक्ष को सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया।

2– अधिकरण के निर्णय दिनांकित 01–07–2022 का मुख्य भाग निम्नवत हैः–

"Claim petition is allowed. The impugned order dated 24.06.2020 was passed by the opposite party no.3 contained as Annexure No.1 is hereby quashed, whereby appeal of the petitioner has been rejected. Opposite Parties are directed to grant benefit of 1st and 2nd ACP on the post of Senior Assistant, in the pay scale of Rs. 9300-34,800/-, with grade pay of Rs. 4200 & Rs. 4600 respectively from due date and thereafter revise pay fixation and release arrears of salary and other admissible dues as well as retiral dues as per rules. The order dated 06.06.2020, passed by opposite party no. 4 is modified to that extent, in the interest of justice. Compliance of the judgment shall be done within three months from the date of receipt of certified copy of this judgment. "

3— याची पक्ष से तर्क लिया गया कि उक्त निर्णय दिनांकित 01—07—2022 के अनुपालन में उसे दिनांक 02—11—2011 से प्रथम ए0सी0पी0 का लाभ दे दिया गया किन्तु अधिकरण के उपरोक्त निर्णय/आदेश के अनुपालन में उसे द्वितीय ए0सी0पी0 का लाभ नहीं दिया गया जिससे न तो उसका वेतन बढ़ी हुई राशि पर पुनर्निधारित हो सका एवं न ही उसे वेतन का एरियर एवं अन्य लाभ मिल सके। अतः याची द्वारा अधिकरण के निर्णय दिनांकित 01—07—2022 के अनुपालन में दिनांक 02—11—2017 से द्वितीय ए0सी0पी0 दिलाये जाने की प्रार्थना की गयी।

4— विपक्षीपक्ष से अनुपालन आख्या/शपथ पत्र दिनांकित 06—03—2023 तथा अनुपूरक आख्या आख्या/शपथ पत्र दिनांकित 19—12—2025 प्रस्तुत की गयी तथा कथन किये गये कि याची को विभाग ने वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति की तिथि 02—11—2001 से 10 वर्ष की सेवा दिनांक 02—07—2011 को पूर्ण होने पर प्रथम ए0सी0पी0 ग्रेड पे रू0 4200/—सहित अनुमन्य किया किन्तु याची की वित्तीय वर्ष 2017—18 की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि खराब होने के कारण उसकी द्वितीय ए0सी0पी0 की तिथि 02—11—2017 के स्थान पर 02—11—2018 हो गयी और याची के दिनांक 19—09—2018 को अनिवार्य सेवानिवृत्त कर दिया गया जिससे याची को द्वितीय ए0सी0पी0 मय ग्रेड वेतन रू0 46,00/— सहित का लाभ प्रदान किया जाना सम्भव नही है, उक्त के कम में याची को देय अवशेष वेतन का भुगतान किया जा चुका है।

5— याची पक्ष से तर्क लिया गया कि वित्तीय वर्ष 2017—18 की वार्षिक गोपनीय प्रतिकूल प्रविष्टि उसे 08—06—2018 दिनांकित पत्र द्वारा प्राप्त करायी गयी। उसे तृतीय ए0सी0पी0 दिनांक 02—11—2017 को देय थी, अतः दिनांक 02—11—2017 तक कोई प्रतिकूल प्रविष्टि उसे न तो दी गयी एवं न ही उसे प्राप्त करायी गयी थी, इसके अतिरिक्त उक्त प्रविष्टि को विलोपित किये जाने हेतु उसके द्वारा प्रत्यावेदन दिया गया जो 120 दिन की अवधि व्यतीत हो जाने के बाद तय किया गया, अतः उक्त प्रतिकूल प्रविष्टि को स्वयं में विलोपित हुई मानी जायेगी तथा उसके आधार पर याची को तृतीय ए0सी0पी0 के लाभ से वंचित नहीं रखा जा सकता।

6— याची द्वारा अपने कथन के समर्थन में माननीय उच्चतम न्यायालय की नजीर जालिम सिंह बनाम् नन्द किशोर एवं अन्य एस0एल0पी0 (सिविल) सं0—20915 सन् 2024 में पारित निर्णय दिनांकित 17—3—2026 की ओर अधिकरण का ध्यान आकर्षित किया गया जिसके चरण—12 एवं 13 में

माननीय उच्चतम न्यायालय ने पाया कि अवमानना के क्षेत्राधिकार में अवमानना न्यायालय को किसी मेरिट को परीक्षित करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अवमानना याचिका मात्र निर्णय का अनुपालन करने हेतु प्रस्तुत की जाती है, अतः इस निर्णय के आधार पर याची पक्ष से तर्क लिया गया कि क्योंकि अधिकरण ने विपक्षीगण को द्वितीय ए0सी0पी0 का लाभ याची को प्रदान किये जाने का आदेश पारित किया है, अतः अधिकरण मात्र उक्त आदेश को कियान्वित कराने का अधिकार रखता है।

7— इसी सम्बन्ध में याची पक्ष से नजीर भुज वीर सिंह बनाम् प्रीतम सिंह एवं अन्य 2011(29) एलसीडी 865 को पेश किया गया जिसके चरण—33 में माननीय उच्च न्यायालय ने पाया कि अवमानना न्यायालय को निर्णय की सत्यता जॉचने का कोई अधिकार नही है। निर्णय से यदि किसी पक्ष को कोई एतराज है तो उसके पास उच्च फोरम में जाने का मौका रहता है। न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करना अवमानना की श्रेणी में आता है, अतः इस नजीर के आधार पर पुनः अधिकरण के निर्णय दिनांकित 01—07—2022 के अनुपालन में याची द्वारा द्वितीय ए0सी0पी0 प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना की गयी।

8— इस सम्बन्ध में यदि अधिकरण के निर्णय दिनांकित 01—07—2022 के मुख्य भाग का अवलोकन किया जाये तो इसमें भी अंकित है कि विपक्षीगण याची को प्रथम एवं द्वितीय ए0सी0पी का लाभ ''ड्यू डेट'' से देगे एवं ''ड्यू डेट'' क्या होगी यह आदेश में स्पष्ट न किए जाने से इसका निर्धारण निश्चित रूप से विपक्षीगण को करना है एवं यदि याची के कथनानुसार विपक्षीगण ने याची को द्वितीय ए0सी0पी0 दिये जाने की दिनांक गलत रूप से 02—11—2017 के स्थान पर दिनांक 02—11—2018 निर्धारित की है तो निश्चित रूप से उसके लिए याची को उचित उपचार में सक्षम न्यायालय में जाना था जो कि याची द्वारा नही किया गया। स्वीकृत रूप से याची का प्रत्यावेदन कथित प्रतिकूल प्रविष्टि के विरूद्व निरस्त किया जा चुका है एवं स्वीकृत रूप से क्योंकि याची द्वितीय ए0सी0पी0 का लाभ दिनांक 02—11—2017 से पाने का अधिकारी था किन्तु विपक्षीगण के कथनानुसार क्योंकि याची को वर्ष 2017—18 की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि प्रतिकूल मिली थी, वह प्रविष्टि चाहे याची को वर्ष 2018 में उपलब्ध करायी गयी किन्तु क्योंकि उक्त प्रविष्टि वर्ष 2017—18 की थी एवं उक्त प्रतिकूल प्रविष्टि याची को उसकी द्वितीय ए0सी0पी0 दिये जाने की दिनांक 02—11—2017 के सम्बन्ध में विचारण करते समय समिति के समक्ष थी एवं स्वीकृत रूप से ए0सी0पी0 समय—सीमा के साथ—साथ संतोषजनक सेवा पर

भी निर्भर करती है, अतः वर्ष 2017–18 में याची के विरूद्व कथित प्रतिकूल प्रविष्टि के कारण विपक्षीगण द्वारा याची को द्वितीय ए0सी0पी0 का लाभ देय तिथि से 01 वर्ष बाद यानी दिनांक 02–11–2018 को देना तय पाया गया किन्तु याची दिनांक 19–09–2018 को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त हो गया, अतः द्वितीय ए0सी0पी0 उसे नहीं दी जा सकी। याची के कथनानुसार उसकी वर्ष 2017–18 की प्रतिकूल प्रविष्टि के विरूद्व उसका प्रत्यावेदन 120 दिन में तय न किये जाने के कारण उक्त वर्ष 2017–18 की प्रतिकूल प्रविष्टि उसके विरूद्व नही पढ़ी जायेगी, याची का यह तर्क नये वाद का कारण बनता है, क्योंकि विपक्षीगण द्वारा याची को अधिकरण के निर्णय के अनुसार देय तिथि पर द्वितीय ए0सी0पी0 प्रदान करनी थी एवं विपक्षीगण के कथनानुसार उन्होंने याची के विरूद्व वर्ष 2017–18 की प्रतिकूल प्रविष्टि के आधार पर याची को द्वितीय ए0सी0पी0 प्रदान करने की देय तिथि 02–11–2018 पायी एवं इसके पूर्व ही याची दिनांक 19–09–2018 को अनिवाय रूप से सेवानिवृत्त कर दिया गया, अतः विपक्षीगण के कथनानुसार याची को द्वितीय ए0सी0पी0 अधिकरण के निर्णय दिनांकित 01–07–2022 के बावजूद देय नही है।

9– इस प्रकार विपक्षी पक्ष से अधिकरण के निर्णय दिनांकित 01–07–2022 के अनुपालन में याची को द्वितीय ए0सी0पी0 की देय तिथि 01–11–2018 पाते हुए इससे पहले याची के अनिवार्य रूप से दिनांक 19–09–2018 को सेवानिवृत्त हो जाने के कारण उसे द्वितीय ए0सी0पी0 का लाभार्थी नहीं पाया गया है। याची को विपक्षी पक्ष के उक्त निष्कर्ष के विरूद्व उसे नया वाद का कारण उत्पन्न होना कहा जाएगा। तदनुसार विपक्षीगण द्वारा अधिकरण के निर्णय दिनांकित 01–07–2022 का पूर्ण अनुपालन कर लिया जाना पाया जाता है।याची की अवमानना याचिका पूर्ण संतुष्टि में निरस्त की जाती है। विपक्षी पक्ष को जारी नोटिस निरस्त किए जाते हैं। अवमानना याचिका दाखिल दफ्तर हो।

ह0 ह0

(के0 रविन्द्र नायक) (न्यायमूर्ति साधना रानी ठाकुर)
उपाध्यक्ष(प्रशा0) अध्यक्ष